

पत्रांक-14/ए०एफ०-41/2025.....

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

अमित कुमार पुष्पक,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक...../...../2025

विषय:- चम्पारण कॉलेज ऑफ हाईयर, एजुकेशन, सिसवा, पूर्वी चम्पारण को स्नातक कला संकाय अंतर्गत विभिन्न विषयों में शैक्षणिक सत्र 2026-30 के लिए अस्थायी संबंधन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्रांक-B/1919 दिनांक-13.08.2025 के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21 (2) (d) के अधीन एवं राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्गत परिनियम 1098 दिनांक-19.04.1986, पत्रांक 3196 दिनांक-14.12.2017 एवं पत्रांक-3074 दिनांक-25.10.2019 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा चम्पारण कॉलेज ऑफ हाईयर, एजुकेशन, सिसवा, पूर्वी चम्पारण को स्नातक कला संकाय अंतर्गत विभिन्न विषयों में शैक्षणिक सत्र 2026-30 के लिए चार वर्षीय स्नातक स्तरीय CBCS पाठ्यक्रम में अस्थायी संबंधन की सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि :-

1. यू०जी०सी० के अद्यतन मानक के अनुरूप अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति/नियोजन सुनिश्चित करेंगे।
2. साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के अनुसार होनेवाले वांछित आधारभूत संरचनाओं एवं मानवबल में किए जाने वाले परिमार्जन से महाविद्यालय का संबंधन आच्छादित होगा।

	संकाय	विषय	अभियुक्ति
01	कला संकाय	अंग्रेजी, उर्दू, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, दर्शनशास्त्र एवं इतिहास (कुल 07 विषयों में)	सत्र 2026-30 के लिए अस्थायी संबंधन।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह०/-

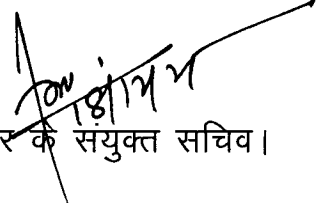
(अमित कुमार पुष्पक)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक :-14/ए०एफ०-41/2025-1904

दिनांक...18/12/2025

प्रतिलिपि:- माननीय शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा के निजी सहायक/उप निदेशक, उच्च शिक्षा एवं सचिव, चम्पारण कॉलेज ऑफ हाईयर एजुकेशन, सिसवा, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।